



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141-2227884

ई-मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xente@rajasthan.gov.in & seprd123@gmail.com

क्रमांक : एफ 4 () पंरावि/पीसी/प्रकाश व्यवस्था/2016/ 100

जयपुर, दिनांक : 8/3/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद-समस्त।

विषय :- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य सडको एवं स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :

- ग्रामीण क्षेत्रों में सडको एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये विद्युत वितरण निगम के खम्भों पर एल.ई.डी-20 अथवा 30 वाट की लाईट लगाई जावेगी एवं इनमें ग्रीड विद्युत आपूर्ति से सप्लाई ली जावे।
- एल.ई.डी लाईट मय ऐसेसरीज (यथा ब्रेकेट, वायर, टाईमर आदि) की आपूर्ति एवं स्थापना की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
- ग्राम पंचायतें इन पर आने वाला विद्युत व्यय केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से वहन करेंगी।
- लाईटें लगाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जावेगा कि लाईटों के रखरखाव एवं विद्युत व्यय का भुगतान उसको प्राप्त राशि से नियमित रूप से वहन किया जावेगा।
- विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सम्पर्क कर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जावे।

साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत व्यवस्था नहीं है, उनकी सूची भी तत्काल विभाग में भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंरा.वि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंरा.वि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर।
5. जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय समस्त।
6. जिला प्रमुख, जिला परिषद समस्त।
7. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, जिला मुख्यालय समस्त।
9. प्रधान, पंचायत समिति समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
11. ए.सी.पी., पंचायती राज को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त पत्र को विभागीय पोर्टल पर प्राजेक्ट में अन्य सर्कुलर्स में अपलोड करने का श्रम करावे।

(मुकुंश माहेश्वरी)

अधीक्षण अभियन्ता